


30/5
26

पत्रावलीपेशा पार्टी व वकील पार्टी को - थायालय
में बार-2 आवाज लगाई गई। बार-2 आवाज
लगाने के बावजूद भी पार्टी व वकील पार्टी
थायालय में लजिए नहीं आये। अतः

पार्टी का आवेदन अं. धारा 212 RA अदालत
राजनी अदालत में स्वीकृत किया जा रहा है।
पत्रावली फॉल्ल धुआर लेकर नम्बर 1 व का
लेकर हाविल दफ्तार है।


उपखण्ड अधिकारी
दारासामगढ़